रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 483] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11, 1972/कार्तिक 20, 1894
No. 483] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 1972/KARTIKA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November 1972

S.O. 702(E).—Whereas elections have been held in pursuance of the Notificaion No. F.13(4)/72-Leg.II, dated the 13th October, 1972, [published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 13th October, 1972] issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the vacancy of a member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir, who retired on the 10th November, 1972, on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the said Act, the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir is notified for general information:—

Sl. No.	Name of Member
1.	Shri Durga Prasad Dhar

[No. F.13(4)/72-Leg.II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1972

फा० आ० 702(अ).—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० फा० 13(4)/72-विधा० II तारीख 13 अक्टूबर, 1972 [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 13 अक्तूबर, 1972 को प्रकाशित] के अनुसरण में जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य की रिक्ति, जो 10 नवम्बर, 1972 को निवृत हो गया, भरने के लिए प्रयोजनार्थ, निर्वाचन किए गए हैं ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 71 के अनुसरण में जम्मू-कश्मीर राज्य [की] विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

क्र० सं०	सदस्य का नाम
1.	श्री दुर्गा प्रसाद धर

[सं० फा० 13(4)/72-विधा० II]

के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972